

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या103/2015.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा प्रा.लि., जयपुर बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/01/2016	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>यह विविध प्रार्थना पत्र, राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 01.10.2015, जिसके द्वारा 8,38,582/- रूपये की बकाया राशि पर स्थगन प्रदान करते हुए अपीलीय अधिकारी को उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे, के संबंध में प्रस्तुत की गई है तदनुरूप अभ्यर्थना की गई है कि उनके द्वारा स्थगन आदेश के संबंध में समस्त शर्तें पूरी कर दी गई थी परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अभी तक उक्त प्रकरण को सुनवाई में नहीं लिया गया है। इस आधार पर उन्होंने स्थगन आदेश और तीन माह तक बढ़ाने का निवेदन किया है।</p> <p>उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है।</p> <p>उभयपक्ष को सुनने के पश्चात प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त प्रकरण में स्थगन पूर्व शर्तोंनुसार तीन माह अथवा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपील आदेश जो भी पहले हो तक बढ़ाया जाता है।</p> <p>विविध प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> (मदन लाल) सदस्य</p>	